न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 64 / 2020
दायर दिनांक : 11.09.2020

अनवान

1. गट्टू पत्नि बालुनाथ जोगी निवासी राजपुरा तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. भूरा पिता जगरूप गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. हाथीड़ा पिता जगरूप गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. कुरालाल पिता रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
4. गोगली पुत्री रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
5. जगदीश पिता रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
6. जयसिंह पिता रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
7. झमकू पत्नि स्व0 रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
8. फूलचन्द्र पिता रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
9. यशोदा पुत्री रामदयाल मीणा निवासी नापाकाखेड़ा तहसील केकड़ी।
10. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 01.01.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सरथला में स्थित भूमि खाता संख्या 52 आराजी संख्या 100 जो कि विपक्षी नम्बर 1 व 2 की पूर्वी मेड पर उत्तर से दक्षिण आगे चलकर विपक्षी नम्बर 3 से 7 के खातेदार की आराजी नम्बर 116 की दक्षिणी मेड़ आराजी नम्बर 117 की उत्तरी मेड़ पर होते हुये प्रार्थी की आराजी नम्बर 111 की पश्चिमी मेड़ पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीमी समय से रास्ता 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है। तथा विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने निरबाधरूप से रास्ते का उपयोग उपभोग करने दे रहे है। परन्तु विपक्षी नम्बर 3 से 7 के द्वारा आराजी नम्बर 116व 117 के खातेदारान है ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर जाने से महरूम हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 111 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराज़ी संख्या 100, 116 व 117 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान [illegible]।

दिनांक 19.11.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट / 2020 / 2619 दिनांक 11.11.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सरथला की आराजी संख्या 111 पर पहुंचने विपक्षीगण के आराजी संख्या 100, 116 व 117 में से रास्ता हेतु मांग किया है। प्रार्थना पत्र की मौका जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक काछोला से करवाई है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 117 जो राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गे0मु0 नाला दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थी की खाते की आराजी में पहफॅचने के लिए बीच में

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाला आता है। नाला में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गे0मु0 नाला अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है।

दिनांक 01.01.2021 को पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 दिनांक 19.11.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 111 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 100, 116 व 117 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 117 जो राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गे0मु0 नाला दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थी की खाते की आराजी में पहुँचने के लिए बीच में नाला आता है। नाला में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गे0मु0 नाला अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रार्थी की ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सरथला तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 111 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 100, 116 व 117 में से रास्ते हेतु मांग की है, जिसमें आराजी नम्बर 117 जो राजस्व रिकार्ड में गे0मु0 नाला दर्ज है, में से होकर गुजरना पड़ता है। गै0मु0 नाला में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गे0मु0 नाला अब्दुल रहमान प्रकरण से बाधित है। इस कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner